



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.03.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 06 अलग-अलग 07 मामलों में कुल 07 अभियुक्तों को कुल 9500/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 07 अलग-अलग मामलों में कुल 07 अभियुक्तों को कुल 9500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अभियोग 136/2010 धारा 279/337/427 भादवि के अभियुक्त भूरा पुत्र सुरेन्द्र नि0 निम्नीपार थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को **2500 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
2. थाना गिरवां में पंजीकृत अभियोग 148/4 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अभियुक्त रामशरण पुत्र शिवगोपाल वर्मा नि0 परसाद का पुरवा थाना गिरवां जनपद बांदा को कुल **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
3. थाना मरका में पंजीकृत अभियोग 23/13 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अभियुक्त भूरा पुत्र गऊलाल रैदास नि0 ग्राम पन्नाह थाना मरका जनपद बांदा को कुल **1000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
4. थाना कमासिन में पंजीकृत अभियोग 64/04 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्त राममिलन पुत्र महेश यादव नि0 अमलोखर थाना कमासिन जनपद बांदा को **1000 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
5. थाना बबेरु में पंजीकृत अभियोग 136/08 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र विशम्भर नि0 मरका रोड थाना बबेरु जनपद बांदा को **1500 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
6. थाना कमासिन में पंजीकृत अभियोग 81/04 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अभियुक्त कमल किशोर पुत्र रामप्रताप नि0 तिलौसा थाना कमासिन जनपद बांदा को कुल **500/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
7. थाना बबेरु में पंजीकृत अभियोग 155/07 धारा 25/30 आयुध अधिनियम के अभियुक्त ओंकार पुत्र मंगल नि0 बबेरु जनपद बांदा को कुल **1000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।